292 4 नये सीएसआर और सम्पोषणीयता संबंधी दिशा निर्देशों के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बिहार राज्यों के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्य

अधोहस्ताक्षरी को आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बिहार राज्य के तटीय क्षेत्रों में 'फेलिन' चक्रवात के कारण हुई तबाही, जिसके परिणामस्वरूप जन–धन की बड़े पैमाने पर क्षति हुई थी, की ओर ध्यान आकर्षित करने तथा यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम मंत्री ने आदेश दिया है कि मंत्रालय/विभाग अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई को अपने सीएसआर तथा धारणीयता कार्यसूची के अंतर्गत इन राज्यों के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्य/परियोजनाएं शुरू करने का निर्देश दें।

2. 2013–14 के दौरान उपरोक्त राज्यों के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में सीपीएसई द्वारा शुरू की गई राहत और पुनर्वास परियोजनाओं को पिछड़े क्षेत्रों में परियोजनाएं माना जाएगा और एमओयू के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए भी अर्हक होंगे। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक आपदाओं/विपदाओं के लिए निर्धारित सीएसआर तथा धारणीयता कार्यों हेतु वार्षिक बजट की 5–10: की सीमा इस प्रयोजन के लिए शिथिल की जाएगी और संबंधित सीपीएसई के निदेशक मंडल इस कारण अधिक खर्च करने का निर्णय ले सकते हैं।

3. प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री राहत कोष और/अथवा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए सीपीएसई द्वारा किए गए अंशदान वैध सीएसआर और धारणीयता कार्य गिना जाएगा। इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई इस प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को कम करने में सहायक होगी।

4. यह सचिव, लोक उद्यम विभाग के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[डीपीई का.ज्ञा.सं. 15 (9)/2013–डीपीई (जीएम), दिनांक 28 अक्तूबर, 2013]

******